न्यायालय–सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला–सांचौर

(पीठासीन अधिकारी :– प्रमोद कुमार आर.ए.एस.)

राजस्ववाद सं 16/2023

जीसीएमएस–2023/25

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1.मुकेश कुमार पुत्र कांतिलाल जाति पुरोहित निवासी सिद्वेश्वर तहसील सांचौर जिला सांचौर		1.कान्तीलाल पुत्र रूपा 2.मुकेश पुत्र देवजी। 3.दिनेशपुत्र देवजी। 4.गजरादेवी पत्नी देवजी। 5.मफा पुत्र भीखा। 6.वीनु पुत्र भीखा। 7.जयंति पुत्र भीखा। 8.ओखी पुत्री भीखा। 9.मधु पुत्री भीखा। 10.सीता पुत्री भीखां 11.हरी पुत्री भीखा। 12.रतनाराम दतक पुत्र काना उर्फ थाना । 13.रामा पुत्र रूपा जातियान ब्राह्मण निवासीगण सिद्वेश्वर तह–सांचौर जिला सांचौर(राज.) 14.राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सांचौर। 15.उप पंजीयन अधिकारी सांचौर।

सहायक कलेक्टर–सांचौर जिला जालोर (राज.)

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधि.1955

उपस्थितः–   तारीख रजूः– 12.04.2023

1. श्री प्रकाश पुरोहित प्रार्थी अधिवक्ता।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री दिलीप कुमार बिश्नोई, सोहनलाल नेण,श्री राहुल कुमार अधिवक्ता।
3. अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 15 एक पक्षीय ।

दिनांक.26.06.2024

निर्णय

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण प्रस्तुत किया कि मौजा सिद्वेश्वर पटवार हल्का पालड़ी सौलकियान तहसील सांचौर वादी की शामलाती नवीन खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 337 रकबा 1.14 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 338 रकबा 1.34 हैक्टयर किस्म चाही दोयम,जाव दोयम, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.21 रकबा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 473 रकबा 1.13 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 474 रकबा 1.17 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम भूमि आई हुई है। जिसमें मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 कांतीलाल का 1/5 हिस्सा है।उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ वादी के दादा रूपा पुत्र परखा, कौम ब्रह्मण निवासी सिद्वेश्वर के नाम से थी तथा मुझ वादी के दादा रूप पुत्र परखा के फौत होने पर उक्त वादग्रस्त आराजी मुझ वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 01 कांतिलाल के नाम से खातेदारी दर्ज हुई है। वादग्रस्त आराजी मुझ वादी की पैतृक संपति है। प्रतिवादी संख्या 01 के कुल तीन संतान जिसमें मैं वादी व महेश पुत्र कांतिलाल तथा हंसा पुत्र कांतिलाल जायजा वारिसान है। वादग्रस्त आराजी मुझ वादी की पैतृक संपति होने से वादग्रस्त आराजीमें प्रतिवादी संख्या 01 [illegible] वादी का 1/4 हक हिस्सा कानूनिया बनता है तथा वादग्रस्त आराजी पैतृक [illegible] समें मुझ वादी का बॉय बर्थ राईट्स है। इस प्रकार मैं वादी प्रति[illegible] 1/5 हिस्से की भूमि में 1/4 हिस्से की खातेदारी हकों की घोषणा करवाने का [illegible] अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 01 कांतीलाल जो 80 साल के जईफ उम्र के व्यक्ति है प्रतिवादी संख्या 01 कां[illegible] को उसका पुत्र महेश जो बहला–फुसलाकर वादग्रस्त आ[illegible]ी किसी अजनबी व्यक्ति[illegible] बैचान कर मुझ वादी को मेरे हक हिस्से की भूमि से हमेशा के लिए वंचित करना चाहते है। इस कारण प्रतिवादीगण 01 ने आज से दो रोज पर्वू मुझ वादी को वादग्रस्त आराजी पर किसी

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अजनबी व्यक्ति को साथ लाकर ऐलानियां ध्मकीया दी कि वादग्रस्त आराजी मेरे नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है इस कारण मैं वादग्रस्त आराजी बैचान कर तुझे डण्डे के बल बाहर खदेड़ दूंगा तथा जबरन वादग्रस्त आराजी पर कब्जा कर देगें।इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पांबद किया जाना आवश्यक है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 01 के 1/5 हिस्से की भूमि में मुझ वादी का 1/4 हक हिस्सा होने से उक्तानुसार खातेदारी की डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण सादीर फरमावे।

वाद पत्र दिनांक 12.04.2023 को दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण संख्या 01 ने जवाब पेश किया। कि वाद मुझ प्रतिवादी संख्या 01 का जायन्दा पुत्र है। उक्त आराजी में से मुझ प्रतिवादी कांतिलाल का 1/5 हिस्सा यानि 1.20 हैक्टयर संयुक्त खातेदारी का आया हुआ है। वादी के हिस्से की भूमि जो मेरी सम्पूर्ण आराजी में मेरा 1/5 हिस्सा आया हुआ है मेरे 1/5 हिस्से में से वादी ने राजरे के अनुसार 1/4 हिस्सा दावा में मांग की है। यानि सम्पूर्ण आराजी का 1/20 हिस्सा वादी को देने में मैं सहमत हूं।

हमने अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी एवं मनन किया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन व अवलोकन किया। न्यायालय की समक्ष विचारणीय बिन्दु है, कि वादी वादग्रस्त आराजी में 1/20 हिस्सा प्राप्त करने का हकदार है। पत्रावली वादी वादपत्र प्रतिवादी संख्या 1 के जवाब दावा एवं दस्तावेजी साक्ष्यो से यह भली प्रकार साबित है। कि वादी उक्त भूमि में 1/20 हिस्से का खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्तानुसार वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

--आदेश--

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि मौजा सिद्वेश्वर पटवार हल्का पालड़ी सौलकियान तहसील सांचौर वादी की शामलाती नवीन खसरा नम्बर 336 रकबा 0.01 हैक्टयर किस्म गैर मुमकिन बेरा, खसरा नम्बर 337 रकबा 1.14 हैक्टयर किस्म चाही दोयम, जाव दोयम, खसरा नम्बर 338 रकबा 1.34 हैक्टयर किस्म चाही दोयम,जाव दोयम, खसरा नम्बर 471 रकबा 1.21 रकबा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 473 रकबा 1. 13 हैक्टयर किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 474 रकबा 1.17 हैक्टयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के 1/5 हिस्से की भूमि में वादी का 1/4 हक अर्थात कुल भूमि के 1/20 हिस्से भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो।

(प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)
उपखण्ड अधिकारी साचोर

निर्णय आज दिनांक 26.06.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

सहायक कलेक्टर-सांचौर
जिला जालौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.07.26 15:35:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner